12-12-2015 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत के पेश हुई। वादीगण के वकील उपस्थित। साक्ष्य वादी PW1 जगदीश, PW2 श्रीकिशन व PW3 सत्यनारायण के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। वादी एवं वादी वकील को सुना गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2027 से 2030 मे वादग्रस्त आराजी साबिक ख० नं० 1334/3 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा नाथू पुत्र गंगाराम कोम मीणा सा० देह मु. कदीम दर्ज है। वादी के द्वारा प्रतिवादी की साबिक जमाबन्दी सम्वत 2027 से 2030 ~~की~~ वाके ग्राम चोरू की छाया प्रति भी प्रस्तुत की है, जिसमे साबिक ख० नं 1334 प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज नही है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख० नं० 1334 मि रकबा — से हाल ख०नं 3101 रकबा 0-23 है बने है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2041 ग्राम चोरू मे ख०नं० 3101 रकबा 0-23 मूल्या पुत्र श्रीराम कोम मीणा सा० कासमपुरा दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2062-65 वाके ग्राम चोरू के अनुसार साबिक ख०नं 3101 रकबा 0-23 से हाल ख०नं 2400 रकबा 0-23 बने है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 वाके ग्राम चोरू मे ख०नं 2400 रकबा 0-23 रामस्वरूप, रामेश्वर पुत्र कैलाशी, द्वारका पुत्रिया मूल्या सा० ~~देह~~ कासमपुरा खातेदार रामस्वरूप पुत्र मूल्या व द्वारका पुत्री मूल्या का हि० 2/5 राहिन टोंक जिला स.क्र. बी बैंक निटोक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

शारवा उनियारा दर्ज है।

प्रतिवादीगण द्वारा वाद में अनुपस्थित होना तथा प्रकरण में पैरवी नहीं करना वादीगण के वाद का परोक्ष समर्थन है। साथ वादी के भी वादीगण के वाद की पुष्टि होती है। PW3 रामकल्याण ने अपने बयान में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी जगदीश ने फार्म पोण्ड का निर्माण करवा रखा है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साबिक आराजी ख०न० 1334 प्रतिवादी न० 5 ता 8 की खातेदारी की कभी नहीं है। उक्त आराजी के बजे हाल ख०न० 2500 रकबा 0-23 है० वाके ग्राम चोरू प्रतिवादी न० 5 ता 8 के नाम गलत रूप से खातेदारी में दर्ज की गई है। जो दुरुस्ती योग्य है। न्यायालय वादीगण के वाद को डिक्री किया जाना उचित समझता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। आराजी ख०न० 2500 रकबा 0-23 हैक्टर वाके ग्राम चोरू तहसील उनियारा का वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी न० 5 ता 8 को हमेशा-2 के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण व प्रतिवादी न० 1 ता 4 के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख०न० 2500 रकबा 0-23 है० वाके ग्राम चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरिकेन खर्चा अपना-अपना वहन करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला ...

Scanned by CamScanner

प्रपत्र –5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

उनवान

1.जगदीश पुत्र नाथू जाति मीणा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
2.रामसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
3.सीताराम पुत्र ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
4.राधेश्याम पुत्र ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
5.किस्तुरी बेवा ओमप्रकाश जाति मीणा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
6.धापू पुत्री नाथू जाति मीणा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
7.मोरपाली पुत्री नाथू जाति मीणा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.पिताम्बर पुत्र किशनगोपाल जाति मीणा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
2.रामप्यारी पुत्री किशनगोपाल जाति मीणा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
3.रामपति पुत्री किशनगोपाल जाति मीणा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
4.कानी पुत्री किशनगोपाल जाति मीणा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
5.रामस्वरूप पुत्र मूल्या जाति मीणा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
6.रामेश्वर पुत्र मूल्या जाति मीणा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
7.कैलाशी पुत्री मूल्या जाति मीणा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
8.द्वारका पुत्री मूल्या जाति मीणा निवासी चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक
9.टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 टोंक शाखा उनियारा शाखा प्रबन्धक उनियारा
10. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा , दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 94 वर्ष 2010

वादी की ओर से पी0सी0जैन प्रतिवादीगण की और .... उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 12.12.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि आराजी ख0न0 2400 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम चोरूं तहसील उनियारा का वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी न0 5 ता 8 को हमेशा –2 के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता 4 के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 2400 रकबा 0.23 है0, वाके ग्राम चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 12 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner